न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 78 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. बगताराम पुत्र लच्छाराम 2. अजाराम पुत्र लादाराम 3. आसुराम पुत्र लादाराम का.मु. 3/1जुंझाराम पुत्र आसुराम 3/2केली पुत्री आसुराम 3/3पारू पत्नी आसुराम 3/4लेहरो पुत्री आसुराम 3/5चेनी पत्नी आसुराम 4. सताराम पुत्र लादाराम 5. हरखाराम पुत्र लादाराम 6. ईसाराम पुत्र लादाराम 7. पुरोदेवी पत्नी लादाराम जाति जाट निवासी झरडासर छोटु तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 8. भगाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी पीरोणी गोदारों की ढाणी छोटु तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर	1. गंगाराम पुत्र लच्छाराम 2. पुराराम पुत्र लच्छाराम 3. नैनुदेवी बेवा लच्छाराम 4. तुलसाराम पुत्र देदाराम का.मु. 4/1भारूराम पुत्र तुलसाराम 4/2टीकमाराम पुत्र तुलसाराम 4/3भीखाराम पुत्र तुलसाराम 4/4मुकनाराम पुत्र तुलसाराम 4/5गेनाराम पुत्र तुलसाराम 4/6हरखाराम पुत्र तुलसाराम 4/7भुरी बेवा तुलसाराम 5. जोराराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी पीरोणी गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 6. प्रबन्धक एस बी बी जे बैंक शाखा गुड़ामालानी 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2016 बअनवान गंगाराम बनाम बगताराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री धनराज जोशी, श्री प्रेमाराम सोनी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी, श्री कपिल चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 15.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 अपीलकर्ता की संयुक्त खतेदारी की भूमि मौजा झरडासर पटवार क्षेत्र छोटु तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 227 रकबा 167.12 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें वादीगण/उतरदाता संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 5/36, 5/36 हिस्स.

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

खसरा संख्या 219 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 26.16 बीघा, खसरा संख्या 223 रकबा 40.19 बीघा कुल रकबा 68.01 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा उक्त भूमि में है तथा मौजा पीराणी गोदारों की ढाणी पटवार मंडल छोटू के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 138.04 बीघा में वादीगण प्रत्येक का 11/96–11/96 हिस्सा नियत है। उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर अपीलकर्तागण ने डालुराम को पैरवी करने हेतु अधिवक्ता अधिकृत किया गया। किन्तु उन्होंने अपीलकर्तागण की ओर से कोई जवावदावा, प्रतिदावा पेश नहीं किया और न ही वादीगण की साक्ष्य ली गई परन्तु अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने पेशी दिनांक 24.08.2020 को यदि प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2020 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलकर्तागण ने डालुराम को पैरवी करने हेतु अधिवक्ता अधिकृत किया गया, किन्तु उन्होंने अपीलकर्तागण की ओर से कोई जबावदावा, प्रतिदावा पेश नहीं किया और न ही वादीगण की साक्ष्य ली गई परन्तु अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने पेशी दिनांक 24.08.2020 को यदि प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 02 ने कोई जबावदावा हिस्से को घोषित करने और हिस्से अनुसार जरिये नाप व सीमाकंन द्वारा पृथक करवाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दुरूपयोग करते हुए उतरदाता संख्या 03 की भूमि को पृथक कर अंतिम डिक्री प्रदान की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत नायब तहसीलदार गुड़ामालानी के जरिये उक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के विपरीत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के नायब तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांटगण व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की आपति को विधि विरूद्ध जाकर खारिज किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RBJ 2019 Page 123
RBJ 2017 Page 299
RRT 2022(1) Page 61
RBJ (16) 2009 Page 478
RRT 2022(1) Page 135
RRT 2022(1) Page 338

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किया गया जिसने अपीलांटगण की ओर से कोई जबावदावा, प्रतिदावा पेश नहीं किया गया और न ही वादीगण की साक्ष्य ली गई परन्तु अपीलांटगण के अधिवक्ता ने पेशी दिनांक 24.08.2020 को यदि प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रतिवादीगण/अपीलांटस के स्वीकारोक्ति आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि दिनांक 30.04.2020 को तहसीलदार गुड़ामालानी श्री जोधसिंह सेवानिवृत्त होने पर उनका कार्यभार नायब तहसीलदार श्री बन्नाराम जी को सुपुर्द किया गया तब नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी की हैसियत से मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.12.2020 तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक एस.पी. 01 से 18 दिनांक 30.11.2020 को जारी किये गये थे, जिनकी तामीली विधिक रूप से करवायी गयी। उतरदाता संख्या 03 नैनूदेव को प्रतिवादी संख्या 02 के रूप में पक्षकार बनाया गया है जो वादग्रस्त खसरों में रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबन्दी को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्न्तनिहित शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे भी उसके हिस्से में आयी भूमि बंटवाड़े में से दी गयी है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारों का कोई दुरूपयोग नहीं किया है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों के साथ न्याय करके अंतिम डिक्री विधिवत रूप से पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटगण के अधिवक्ता ने पेशी दिनांक 28.04.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई आपति नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाहिर किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2020 को उभयपक्षकारान की सहमति से प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का उजर नहीं करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांटगण को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपति पर सुनवाई कर आपति के आवेदन का विधि सम्मत निस्तारण किया गया। अपीलांटगण की अपील में भी यह उजर किया गया है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया जबकि श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प.1()(1)कार्मिक/2019/619 दिनांक 23.04.2020 को एक आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि श्री जोधसिंह तहसीलदार गुड़ामालानी को सेवानिवृति पर दिनांक 30.04.2020 को मध्यान्हन पश्चात कार्यमुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार गुड़ामालानी एवं धारित अन्य पदों का कार्यभार श्री बन्नाराम नायब तहसीलदार गुड़ामालानी को सुपुर्द कर सेवानिवृति पर प्रस्थान करेगें। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि श्री बन्नाराम नायब तहसीलदार गुड़ामालानी ने बकायदा तहसीलदार गुड़ामालानी की हैसियत से अपीलाधीन आराजी का मौका देखकर अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.12.2020 तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक एस.पी. 01 से 18 दिनांक 30.11.2020 को जारी किये गये थे जिसकी विधिवत तामिल करवाई गई। जिसका स्पष्ट उल्लेख विभाजन प्रस्ताव में किया गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.12.2020 में स्पष्ट आया है कि"खसरा संख्या 227 उपजाऊपन की दृष्टि से अनउपजाऊ कम उवर्रक क्षमता वाली तथा रेतीले धोरे व टीब्बे वाली भूमि होने के कारण बहिस्सा अनुसार तथा खसरा संख्या 219, 220, 223 की भूमि डेरी, समतल एवं अधिक उपजाऊ है। तथा इसमें भी तीनों खसरों की उपजाऊपन व एक ही किस्म होने से वादीगण को खसरा नं. 223 में बहिस्सा कब्जा अनुसार तथा खसरा नं. 20 में उपजाऊपन व रेतीले धोरे को मध्यनजर रखते कब्जा काश्त अनुसार तथा खसरा सं. 20 में 05.00 बीघा भूमि ऑवरलेप होने के कारण सभी खातेदारों में संयुक्त रखी गई है। खसरा नं. 223, 219, 220 में वादीगण गंगाराम का 1/8 हिस्सा गंगाराम की सहमति से वादीगण पुराराम को दिया गया। इसकी एवज में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण पुराराम का हिस्सा खसरा नं. 20 में सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण गंगाराम को अपने घर के पास स्थित होने के कारण एकल (एक जगह) की गई। तथा शेष पुराराम के हिस्से में आने वाली भूमि पूराराम के घर के पास स्थित गंगाराम के हिस्से में से सहमति से हिस्सा अनुसार बराबर दी गई। उपर्युक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणीयां टांके, पशु बाड़े, भूमि के उपजाऊपन, अनुसार बाई बिटस एण्ड बाउडस अनुसार, बहिस्सा अनुसार मौका अनुसार मौके पर खातेदारान के रूबरू किया गया।" अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 16.05.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2016 बअनवान गंगाराम बनाम बगताराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा मिलामिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर